



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042021-226477
CG-DL-E-09042021-226477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 257(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत खाता योजना, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता (संशोधन) योजना, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत खाता योजना, 2019 में -

(i) पैरा 3 में उप-पैरा (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-पैरा अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(3) उप-पैरा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस योजना के हितधारी मूल बचत खाता को खोल और परिचालित कर सकते हैं और ऐसे खाते को खोलने के लिए विहित विशिष्टियां नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, अर्थात्:-

सारणी

खाता का प्रकार	कौन खाता खोल सकता है	खाता खोलने के लिए अपेक्षित जमा राशि	खोले जाने वाले खातों की संख्या	खाते में जमा की जाने वाली राशि की प्रकार	खाते में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि	खाता कौन प्रचालित कर सकता है
मूल बचत खाता	(i) किसी भी सरकारी कल्याण योजना का रजिस्ट्री वयस्क सदस्य (ii) किसी ऐसे अवयस्क जिसका नाम किसी सरकारी लाभ के लिए रजिस्ट्री है, का अभिभावक	शून्य	एक	कोई सरकारी लाभ या इस योजना के अधीन कोई अन्य जमा राशि	शून्य	(i) कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसका नाम किसी सरकारी कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्री है। (ii) किसी ऐसे अवयस्क जिसका नाम सरकारी लाभ के लिए रजिस्ट्री है, का अभिभावक

(4) डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के अधीन खोला गया कोई भी मूल बचत खाता चालू रहेगा।";

(ii) पैरा 4 के उप-पैरा (6) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "पचास रुपये (माल और सेवाकर सहित) रखे जाएंगे।

[फा. सं. 14/8/2019-एनएस (पार्ट. I)]

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

टिप्पण : मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 921(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2021

G.S.R. 257(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Post Office Savings Account Scheme, 2019, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Scheme may be called the Post Office Savings Account (Amendment) Scheme, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Savings Account Scheme, 2019,-

(i) in paragraph 3, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), the beneficiaries of this Scheme may open and operate Basic Savings Account and the particulars required for opening of such an account are specified in the Table below, namely :-

TABLE

Type of Account	Who may open the account	Deposit required for opening of account	Number of accounts that can be opened	Type of deposits that can be made into the account	Minimum balance to be maintained in the account	Who may operate the account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic Savings Account.	(i) Registered adult member of any Government Welfare Scheme; (ii) Guardian of a minor whose name is registered for any Government Benefit.	Nil.	One.	Any Government benefit or any other deposit under the scheme.	Nil.	(i) An individual adult whose name is registered for any Government Welfare Scheme; (ii) guardian of any minor whose name is registered under any Government Welfare Scheme.

(4) Any Basic Savings Account opened/under the Post Office Savings Account Rules, 1981 shall remain operational.”;

(ii) in paragraph 4, in sub-paragraph (6), for the words “one hundred rupees”, the words and brackets “fifty rupees (inclusive of Goods and Services Tax)” shall be substituted.

[F. No. 14/8/2019-NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.

Note : The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 921 (E), dated the 12th December, 2019.